राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक— एफ.1(ए)09 / पार्ट—4 / संस्था / बीमा / 2025 / दिनांक : 13-03-2026

—:आदेश:— 554

इस विभाग में कार्यरत निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठयक्रम / परीक्षा में सम्मिलित होने / बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं	नाम कर्मचारी श्री / श्रीमती / सुश्री	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	पाठ्यक्रम / प्रतियोगी परीक्षा जिसकी अनुमति चाही गयी है
1.	मोना प्रजापत	कनिष्ठ सहायक	अजमेर	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर **पूर्वार्द्ध** (इतिहास) स्वयंपाठी परीक्षा 2025
2.	पवन भाटी	कनिष्ठ सहायक	जोधपुर शहर	वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित बी.एल.आई.एस. स्वयंपाठी पाठ्यक्रम
3.	धर्मेद्र स्वामी	कनिष्ठ सहायक	बीकानेर	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर (राजनीति विज्ञान) **पूर्वार्द्ध** स्वयंपाठी परीक्षा, 2025
4.	बाबुलाल भाम्भु	कनिष्ठ सहायक	बीकानेर	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर (इतिहास) **पूर्वार्द्ध** स्वयंपाठी परीक्षा, 2025

उपर्युक्त अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जा रही है :—

1. शिक्षण संस्थान मे अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमति अलग — अलग लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार / विभाग किसी प्रकार का जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणवश अध्ययन की स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक— एफ.1(ए)09 / पार्ट—4 / संस्था / बीमा / 2025 / 12146-50 दिनांक : 13-03-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संबंधित अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, अजमेर संभाग / जोधपुर संभाग / बीकानेर संभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति स्वयं के स्तर पर संबंधित कार्मिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. सिस्टम एनालिस्ट / संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट http://sipf.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
3. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Vibhu Kaushik
Designation : Additional Director
Date: 2026.03.12 1?:27:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20864459
eSign 1.0